राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :- श्री शैलेश खैरवा आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :- 77 / 19

चन्द्राराम बनाम कन्हैयालाल वगै0

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) रा0 का0 अधिनियम 1955

चन्द्राराम पुत्र मौकाराम जाति माली निवासी औजावाली ढाणी तन अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनूं

------ आवेदक

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र नागरमल जाति माली निवासी औजावाली ढाणी तन अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनूं
2. अंचलासिंह पुत्री रतु देवी स्त्री उदयसिंह जाति माली निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं
3. प्रियंका पुत्री रतु देवी स्त्री विक्रम जाति माली निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं
4. नानूराम पुत्र नागरमल जाति माली निवासी औजावाली ढाणी तन अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनूं
5. प्रभुराम पुत्र सेडूराम जाति माली निवासी औजावाली ढाणी तन अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनूं
6. फुलाराम पुत्र बुगलाराम जाति माली निवासी औजावाली ढाणी तन अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनूं
7. मनीराम पुत्र नागरमल जाति माली निवासी औजावाली ढाणी तन अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनूं
8. महावीर प्रसाद पुत्र सेडूराम जाति माली निवासी औजावाली ढाणी तन अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनूं
9. मालाराम पुत्र बुगलाराम जाति माली निवासी औजावाली ढाणी तन अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनूं
10. मोती पुत्र बुगलाराम जाति माली निवासी औजावाली ढाणी तन अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनूं
11. रामकुमार पुत्र नागरमल जाति माली निवासी औजावाली ढाणी तन अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनूं

उप खण्ड अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)

आवेदक की सहखातेदारी जमीन हाल खसरा नं. 166, 168, 169 में आने जाने कृषि के लिए ट्रेक्टर व पशुधन एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने व बच्चों की स्कूल बस का मात्र रास्ता नजरी नक्शा में दर्शित आम सड़क झुंझुनूं से चिड़ावा से बिन्दु ए बी सी डी मात्र नजदीकी रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी बारह फिट रास्ता मौके पर मौजूद है जो खसरा नं. 916/86 की भूमि में 6 फिट तथा खसरा नं. 85 की भूमि में पश्चिम सीमा के पास 6 फिट है। खसरा नं. 915/86 व खसरा नं. 87 की पूर्वी सीमा के पास 6 फिट चौड़ा रास्ता व बिन्दु सी तक खसरा नं. 88 की पूर्वी सीमा के पास 6 फिट चौड़ा रास्ता एवं खसरा नं. 165 में से बिन्दु बी से सी पश्चिम सीमा के पास 6 फिट चौड़ा रास्ता एवं नजरी नक्सा में दर्शित बिन्दु सी से डी तक खसरा नं. 165 में 12 फिट चौड़ा रास्ता खसरा नं. 168 व 169 में आने जाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना न्यायोचित है तथा आवेदक रास्ते में आने वाली जमीन की दुगुनी डी. एल. सी. दर की राशि जमा करवाने को तैयार है। इस प्रकार आवेदक ने अपनी खातेदारी जमीन हाल भूमि खसरा नं. 168 व 169 में आने जाने के लिए नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु बी से सी व सी से डी तक 12 फिट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। बिन्दु ए से बी दोनों तरफ के खातेदारों ने 12 फिट चौड़ा रास्ता आगे के खातेदारों को अपने खेत में आने जाने के लिए नैतिकता के नाते छोड़ रखा है। इस प्रकार आवेदक ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपनी खातेदारी भूमि मौजा ग्राम अशोक नगर के हाल भूमि खसरा नं. 166, 168 व 169 में आने जाने के लिए बिन्दु बी से सी व सी से डी तक 12 फिट चौड़ा रास्ता भूमि खसरा नं. 915/86, 87, 88 व 165 में से कायम किये जाने बावत निवेदन किया है।

विवेचन

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2019 को दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को तलब किया गया तथा जवाब हेतु समुचित अवसर दिये गये। अनावेदक संख्या 11 व 12 की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सैनी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा शेष अनावेदकगण की की ओर से कोई भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आवेदक ने जरिये अधिवक्ता एक ओर प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2022 को अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सहपठित धारा 151 जा0 दी0 का पेश कर निवेदन किया कि मौजूदा प्रार्थना पत्र में जहां रास्ता 6 फिट दर्ज है वहां 10 फिट संशोधित किया जाये तथा जहां 12 फिट दर्ज है वहां 20 फिट संशोधित करवाने बाबत निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर बहस दिनांक 20.06.2022 को सुनी गई। बाद अवलोकनार्थ व बगौर मनन बहस आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/251(क)/2022/603 दिनांक 28.06.2022 द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट भिजवाई गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार

उप खण्ड अधिकारी

12. शिशपाल पुत्र नागरमल जाति माली निवासी ओजावाली ढाणी हाल अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनूं

13. हरिसिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी बगड़ तहसील व जिला झुंझुनूं

14. मणी देवी स्त्री महिपाल जाति माली निवासी बगड़ तहसील व जिला झुंझुनूं

15. किस्तुरी देवी स्त्री ज्वाला प्रसाद जाति माली निवासी आदर्शनगर तहसील व जिला झुंझुनूं

16. नाहर सिंह पुत्र ज्वाला प्रसाद जाति माली निवासी आदर्शनगर तहसील व जिला झुंझुनूं

17. प्रभुदयाल पुत्र ज्वाला प्रसाद जाति माली निवासी आदर्शनगर तहसील व जिला झुंझुनूं

18. रामेश्वर सिंह पुत्र ज्वाला प्रसाद जाति माली निवासी आदर्शनगर तहसील व जिला झुंझुनूं

19. शेरसिंह पुत्र ज्वाला प्रसाद जाति माली निवासी आदर्शनगर तहसील व जिला झुंझुनूं

20. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामिण बैंक शाखा बगड़ जिला झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबंधक

21. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बगड़

22. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झुंझुनूं

——— अनावेदकगण

उपस्थित अभिभाषक गण :–

1. श्री राजेश पुनिया – आवेदक की ओर से
2. श्री ओम प्रकाश सैनी – अनावेदकगण संख्या 11 व 12 की ओर से

दिनांक : 20-09-2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थी चन्द्राराम ने जरिये अधिवक्ता श्री राजेश पुनिया एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम अशोक नगर पटवार हल्का माखर में हाल भूमि खसरा नं. 168 रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 166 रकबा 0.02 है0 तथा खसरा नं. 169 रकबा 0.30 है0 स्थित है जिसमें आवेदक चन्द्राराम 1/8 हिस्से का सहखातेदार है। इसी प्रकार हाल भूमि खसरा नं. 916/86 रकबा 0.1084 है0 खातेदारी मणी देवी, भूमि खसरा नं. 915/86 रकबा 0.76 है0 की खातेदारी अनावेदक संख्या 15 लगायत 19 के नाम, भूमि खसरा नं. 87 रकबा 1.24 है0 की खातेदारी अनावेदक संख्या 1 लगायत 12 के नाम, भूमि खसरा नं. 165 रकबा 3.25 है0 की खातेदारी अनावेक नं. 13 हरिसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। आवेदक ने प्रार्थना पत्र के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि का नजरी नक्शा भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया।

उप खण्ड अधिकारी

ड बाईपास मुख्य सड़क खसरा नं. 92/857 से शुरू होकर ओझा की ढाणी (अशोक नगर) 0 मु0 आबादी भूमि खसरा नं. 162, 163, 164, 167 तक जाने का रास्ता खसरा नं. 85 व 916/86 के बीच मौके पर 15 फुट रास्ता चालू अवस्था में है। खसरा नं. 915/86 में 10 फुट रास्ता चालू है। आगे आबादी तक दोनों तरफ तारबंदी के बीच 3 फुट की पगडंडी चालू अवस्था में हैं। संशोधित प्रार्थना पत्र के अनुसार सीमाओं के दोनो तरफ 10–10 फुट कुल 20 फुट रास्ता खसरा नं. 915/86, 87, 88, 157, 162/832 व 165 संलग्न नक्शा ट्रेस में मांग अनुसार प्रस्तावित रास्ता दिखाया गया है। प्रस्तावित रास्ते में मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार खसरा नं. 85 में से 0.0115 है0, खसरा नं. 916/86 में से 0.0115 है0, खसरा नं. 915/86 में से 0.0250 है0, खसरा न. 87 में से 0.0300 है0, खसरा नं. 88 में से 0.0300 है0, खसरा नं. 157 में से 0.0100 है0, खसरा नं. 162/832 में से 0.0050 है0 भूमि तथा खसरा नं. 165 में से 0.1100 है0 भूमि यानि रास्ते में कुल 0.2330 है0 भूमि आती है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काश्तकार को अपनी जोत तक पंहुचने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा काश्तकार को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र आवेदक अंतर्गत धारा 251 ए डी. एल. सी. दर का दो गुना भुगतान की शर्त पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

–: आदेश :–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट तहसीलदार व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते है। आवेदक रास्ता भूमि बाबत निर्धारित डी. एल. सी. दर से दोगुनी राशि अनावेदकगण को भुगतान करने पर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने बाबत तहसीलदार झुंझुनूं को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को टंकण करवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं
उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)